

छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ 3-29/2020/50
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 16/03/2022

1. संचालक
महिला एवं बाल विकास
नवा रायपुर (छ.ग.)
2. समस्त संभागायुक्त,
छत्तीसगढ़
3. समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़
4. जिला कार्यक्रम अधिकारी/
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी
जिला - समस्त, छत्तीसगढ़
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी,
परियोजना -समस्त, जिला -समस्त

विषय :- सभी सेवाओं के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने के संबंध में।

संदर्भ :- विभागीय पत्र क्रमांक एफ 3-29/2020/50 दिनांक 22/07/2021।

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

2/- जिसके अनुसार स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस तथा गरम भोजन हेतु आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने के निर्देश दिये गये थे। राज्य में वर्तमान में कोविड संक्रमण पर नियंत्रण है तथा नये प्रकरण अत्यंत न्यूनतम है। राज्य में कुपोषण की रोकथाम व बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास हेतु बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं शिशुवती माताओं को आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ दिया जाना आवश्यक है।

अतः कोविड-19 से सुरक्षा के संबंध में राज्य शासन तथा स्थानीय प्रशासन समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए दिनांक 21.03.2022 से समस्त सेवाओं हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन की कार्यवाही किया जावे।

उपरोक्त निर्देश का पालन सुनिश्चित करें।

(पी.एस. धुव)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

महिला एवं बाल विकास विभाग

पृ0क्रमांक एफ 3-29/2020/50

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 16/03/2022

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर।
3. विशेष सहायक, मा. मंत्रीजी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नवा रायपुर।

4. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
5. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
6. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर।
9. संचालक, महिला एवं बाल विकास, संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. आदेश फोल्डर।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग